



बुलन्दशहर पुलिस



OPERATION CONVICTION

हत्या करने के आरोपी को आजीवन कारावास

दिनांक- 13.05.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे "Operation Conviction" के तहत बुलन्दशहर पुलिस व अभियोजन विभाग की समन्वित प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप **थाना खुर्जा नगर पर अपने गांव निवासी एक व्यक्ति अशोक की ईंट से वार कर हत्या करने** सम्बन्ध में पंजीकृत मु०अ०सं०-971/2018 धारा 302 भादवि के अभियुक्त **मदन लाल पुत्र हरिराम सिंह निवासी ग्राम हिसूआ गढी थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर** को मा० न्यायालय एडीजे/एफटीसी-03 जनपद बुलन्दशहर द्वारा आजीवन कारावास व 20,000/- रुपये जुर्माना से दण्डित किया गया ।



श्री ध्रुव कुमार
(ADGC)



नि. श्री यशपाल सिंह
(प्रभारी मॉनीटरिंग सैल)



का० सुनील
(पैरोकार)



है०का० इमरान
(कोर्ट मोहर्रि)